संख्या-137/2023/1479/22-2-2022-17(1193)/2022

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 12 अप्रैल 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आशीष कुमार पुत्र स्व0 रामकिशोर अवस्थी, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14659/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-12.04.2022) दिनांक-06.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आशीष कुमार पुत्र स्व0 रामकिशोर अवस्थी, अमृतपुर, थाना-अमृतपुर, जनपद-फर्रूखाबाद का निवासी है। बन्दी ने दहेज की माँग पूरी न होने पर अपनी पत्नी को प्रताड़िता करता था। दिनांक 25.06.2005 को अपने 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर पत्नी प्रभादेवी व उसकी 01 वर्ष की बच्ची गुडिया सहित 02 लोगों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या- 84/2006, में भा0द0वि0 की धारा-498ए. 304बी, 302 व 3/4 डी0पी0 एक्ट में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-03, फर्रुखाबाद के आदेश दिनांक 27.07.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक-22.09.2021 तक अपरिहार 16 वर्ष, 02 माह, 19 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 04 माह, 12 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 15.02.2021 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की आयु व शारीरिक व मानसिक रूप से सशक्त होने एवं बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं अन्य आवश्यक बिन्दुओं के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दहेज की माँग पूरी न होने पर पत्नी को प्रताड़ित करने व दिनांक 25.06.2005 को अपने 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर पत्नी प्रभादेवी व उसकी 01 वर्ष की बच्ची गुड़िया सहित 02 लोगों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट फर्रूखाबाद द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी आशीष कुमार पुत्र स्व0 रामकिशोर अवस्थी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आशीष कुमार (बंदी संख्या-24155) पुत्र स्व0 रामकिशोर अवस्थी, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-137/2023/1479(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-137 /2023/1479/22-2-2022-17(1193)/2022

दिनांक 12 अप्रैल, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आशीष कुमार पुत्र स्व0 रामकिशोर अवस्थी, अमृतपुर, थाना-अमृतपुर, जनपद-फर्रूखाबाद का निवासी है। बन्दी ने दहेज की माँग पूरी न होने पर अपनी पत्नी को प्रताड़िता करता था। दिनांक 25.06.2005 को अपने 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर पत्नी प्रभादेवी व उसकी 01 वर्ष की बच्ची गुडिया सहित 02 लोगों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या- 84/2006, में भा0द0वि0 की धारा-498ए. 304बी, 302 व 3/4 डी0पी0 एक्ट में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-03, फर्रुखाबाद के आदेश दिनांक 27.07.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक-22.09.2021 तक अपरिहार 16 वर्ष, 02 माह, 19 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 04 माह, 12 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 15.02.2021 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की आयु व शारीरिक व मानसिक रूप से सशक्त होने एवं बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं अन्य आवश्यक बिन्दुओं के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दहेज की माँग पूरी न होने पर पत्नी को प्रताड़ित करने व दिनांक 25.06.2005 को अपने 03 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर पत्नी प्रभादेवी व उसकी 01 वर्ष की बच्ची गुड़िया सहित 02 लोगों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी आशीष कुमार पुत्र स्व0 रामकिशोर अवस्थी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।